


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक 24/11/17

क्रमांक एफ 23-1/2016/38-2 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14/09/2017 द्वारा 09 नवीन महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना करने एवं पूर्व से संचालित 10 शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय प्रारंभ करने तथा 237 शैक्षणिक एवं 242 अशैक्षणिक कुल 479 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश के बिन्दु क्रमांक-18 "शासकीय महाविद्यालय पिपरिया, होशंगाबाद" में संकाय/विषय एवं शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कंडिका (क्रमांक-18) में शासकीय महाविद्यालय पिपरिया होशंगाबाद को शासकीय कन्या महाविद्यालय पिपरिया होशंगाबाद पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(वीर सिंह मलावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 24/11/17

पृ० क्रमांक एफ 23-1/2016/38-2

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म०प्र० शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मा.मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा म०प्र० भोपाल।
9. आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
10. संबंधित आयुक्त संभागीय संभाग म०प्र०।
11. संबंधित कलेक्टर.....
12. उप सचिव 01, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग के समस्त शाखा।
13. संबंधित कुल सचिव, विश्वविद्यालय म०प्र०।
14. संबंधित प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय.....
15. प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16. गार्ड फाईल।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग